राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 197 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :—10.12.2021

GCMS ID—2021 / 96

1. साबीर हुसैन आ0 श्री बादुल्ला जाति मुसलमान निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री विजय कुमार माहेश्वरी
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 28 / 02 / 2025

## निर्णय

प्राथी के पिता श्री बादुल्ला थे। श्री बादुल्ला के प्रार्थी एक मात्र पुत्र है। ग्राम तालाब गांव पटवार मण्डल तालाब गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 187 की कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 0.0890 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4613 हैक्टेयर विरिथत है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में साबीर पुत्र बादुल्ला के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में ही खाता संख्या 163 की कृषि भूमि खसरा संख्या 889 / 75 रकबा 0.8094 हैक्टेयर विरिथत है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शबीर हुसैन पुत्र बादुला के नाम खातेदारी दर्ज है एवं इसी प्रकार ग्राम तालाब गांव पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में ही खाता संख्या 184 की कृषि भूमि खसरा संख्या 520 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525 रकबा 0.3561 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.3354 हैक्टेयर विरिथत है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में साकिर हुसैन पुत्र बादुल्ला के नाम खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमिया प्रार्थी के पिता बादुल्ला के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमिया है। प्रार्थी के पिता श्री बादुल्ला की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी के पिता बादुल्ला की मुत्यु के पश्चात उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता बादुल्ला के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के विभिन्न नाम क्रमशः साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन के नाम दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम साबीर हुसैन है। प्रार्थी का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लाईसंन्स आदि साबिर



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुसैन के नाम से ही बने हुए है। अब तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों का रख रखाव व कृषि व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य प्रार्थी के पिता व आधोलिऐ ही करते है इस कारण प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने की कोई जानकारी नहीं हो सकी है। प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम सहवन से क्रमशः साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन दर्ज कर दिया गया है। साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन नाम का कोई व्यक्ति प्रार्थी के पिता बादुल्ला का पुत्र नहीं है। उक्त साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन का नाम उक्त भूमियों के खाते में अंकित होना लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाकर क्रमशः साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन के स्थान पर प्रार्थी का नाम साबीर हुसैन अंकित किया जाना आवश्यक है। न्याय हित में वाद विषयक भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में साबीर, शबीर हुसैन व साकिर हुसैन के स्थान पर इन्द्राज किया जाकर प्रार्थी साबीर हुसैन का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। अब तक प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थी आवेदन पेश नहीं कर सका। जानकारी होते ही प्रार्थी ने वर्तमान में चल रहे राजस्व केम्प ग्राम तालाब गांव 2021 में भी उक्त इन्द्राजात को दुरूस्त करने की प्रार्थना राजस्व कर्मचारियों से की तो उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बात कही, इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र की श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित खाता संख्या 187 की कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 0.0890 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में दर्ज साबीर, खाता संख्या 163 की कृषि भूमि खसरा संख्या 889/75 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में दर्ज शबीर हुसैन व खाता संख्या 184 की कृषि भूमि खसरा संख्या 520 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525 रकबा 0.3561 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.3354 हैक्टेयर में दर्ज साकिर हुसैन के स्थान पर प्रार्थी साबीर हुसैन आ0 बादुल्ला का नाम अंकित किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/4035 दिनांक :–25.11.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम तालाबगांव के खाता संख्या 184 में दर्ज प्रार्थी का नाम साकिर हुसैन पुत्र बादुल्ला व खाता संख्या 163 में शबीर हसैन पुत्र बादुला व खाता संख्या 187 में साबीर पुत्र बादुल्ला दर्ज रिकॉर्ड है। जिन्हे प्रार्थी मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बरों में दर्ज साकिर हुसैन, शबीर हुसैन के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम साबीर हुसैन पिता बादुल्ला दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम म साबीर हुसैन पिता बादुल्ला है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टंर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम साबीर हुसैन दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम तालाबगांव के खाता संख्या 187 में साबीर पुत्र बादुल्ला खाता संख्या 163 में शबीर हुसैन पुत्र बादुला व खाता संख्या 184 में साकिर हुसैन पुत्र बादुल्ला अंकित हो रहे है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव के खाता संख्या 187 में दर्ज साबीर पुत्र बादुल्ला व खाता संख्या 163 में दर्ज शबीर हुसैन पुत्र बादुला एंव खाता संख्या 184 में दर्ज साकिर हुसैन पुत्र बादुल्ला के स्थान पर उपरोक्त खाता संख्या 187, 163, 184 में प्रार्थी का सही नाम साबीर हुसैन पुत्र बादुल्ला शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरींर जारी की जावे। पंत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 28.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446